15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये — RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 610381

<u>विक्रय पत्र</u>

विक्रय पत्र अंकन : 10,49,950/ रूपये
स्टाम्प पेपर अंकन : 1,06,000/ रूपये

मैं कि मटरू पुत्र श्री तेजा निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर, (फरीक अव्वल, विक्रेता)

एवम

श्री रवि कुमार पुत्र श्री तारा निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध

Tejendra ...
Advocate
Ch. No-297, Civil Court
GHAZIABAD.

कार्यालय उप पंजीयक
[illegible]

स्टाम्प नं० 68 रू० 15 मिति
स्टाम्प नं०.../...में शामिल किया गया
उप. रोकड़िया

[illegible] कुमार, [illegible]
[illegible]

10499501-

[illegible] 20/- [illegible] 5000/-
[illegible] 5020/- [illegible] 600
श्री [illegible]
पुत्र [illegible]
निवासी [illegible]
[illegible]
[illegible] 20/1/06
[illegible] 4 व 5 [illegible]

20/1/06

[illegible] का सम्पादन एवं इसमें लि
जरेबलग मु० 1049950/- [illegible]
जिसमें [illegible]
[illegible] मेरे [illegible] पाकर उक्त श्री [illegible]

[illegible]

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये — RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 610382

(2)

<u>विकीत भूमि का विवरण</u>

स्थित ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर (उ0प्र0), कृषि भूमि खाता नं0 354 के खसरा नं0 17 रकबई 0.2530 हैक्टेयर ।

1. विकीत भूमि कृषि भूमि है तो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नही है भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संकमणीय भूमिधरी की भूमि है जिसका सरकारी सर्किल रेट 11,00,000/—रूपया प्रति हैक्टेयर लेकिन इस विकय पत्र में सर्किल रेट से अधिक रूपया 41,50,000/—रूपया प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 10,49,950/— रूपये ( दस लाख उनचास हजार नौ सौ पचास रूपए मात्र ) मूल्य पर सरकारी स्टाम्प अदा किया गया है

2. विकेता अनुसूचित जाति का है। विकेता ने इस आशय का श्रीमान तहसीलदार महोदय से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है कि वह अनुसूचित जाति से/का है ।

3. यह कि विकीत भूमि ग्राम समाज पट्टे की भूमि थी जिसका विकेता (फरीक अव्वल) संकमणीय भूमिधर हो चुका है । इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद नही है ।

4. विकीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विकय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है ।

Tejen... Advocate
Ch. No-... Civil Cou...
GHAZI...

[redacted]

कार्यालय उप पंजीकार

स्टाम्प नं.19 रू.157/-नि
स्टाम्प नं.18 में शामिल किया गया
उप. रजिस्ट्रार

श्री
पुत्र श्री पेशा
निवासी
व श्री
पुत्र श्री पेशा
निवासी

21/8/06

ने प्रतीत होते है
अंगूठा निशान नियमानुसार लिए गये है

उपनिबंधक

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 610383



5. यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि का पूर्व में मौखिक इकरारनामा भी दोनों पक्षों के बीच हुआ था तथा विक्रय पत्र लिखे जाने की मौखिक सहमति हुयी थी जिसके अनुपालन में वर्तमान विक्रय पत्र का निष्पादन किया जा रहा है । तत्समय विक्रेता/विक्रेतागण/फरीक अव्वल ने क्रेता से पेशगी में बजरिये सिंडीकेट बैंक, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, का चैक नम्बर 222788 दिनांकित 18.10.2005 अंकन 90,000/-रूपये (नब्बे हजार रूपए मात्र) तथा नगद 18,000/- रूपये ( अठारह हजार रूपए मात्र) दिनाक 18.10.2005 को अग्रिम में प्राप्त कर लिये थे।

6. विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ /हम फरीक अव्वल (विक्रेता/विक्रेतागण) की ओर से हर प्रकार के बंधक भार व सरकारी देनदारी, इकरारनामा, विक्रय, वसीयत आदि दोषों से मुक्त है कहीं अन्य जगह आड, रहन बय, हिबै महायदाबय व जमानत सरकारी व अर्द्ध सरकारी व निजि रूप से ग्रस्त नही है और न हीं इस बाबत कोई मामला किसी न्यायालय/कार्यालयों में विचाराधीन है ।

स्टाम्प नं०..... रू०..... कीम.......
इशतक नं०..... में शामिल किया गया
उप. रोकड़िया

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 610384



7. मुझ/हम विक्रेता/विक्रेतागण को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त खाता नं0 354 खसरा नं0 17 रकबई 0.2530 हैक्टेयर, स्थित ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर के अपने हिस्से के पूर्ण भाग को बेचने का स्वतन्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एवं अन्य निजि आवश्यकताओं हेतु रुपयों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत केता से मिल रही है जो स्वयं भी अनुसूचित जाति से है । अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में समस्त मालिकाना, काबिजाना, अधिकार जो कुछ भी मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशि अंकन रुपया अंकन 10,49,950 रुपये ( दस लाख उनचास हजार नौ सौ पचास रुपए मात्र ) जिसके आधे अंकन 5,24,975/– (पाँच लाख चौबीस हजार नौ सौ पिचहत्तर रुपए मात्र) होते है, एवज में हाथ फरीक दोयम केता उपरोक्त श्री रवि पुत्र श्री तारा निवासी ग्राम दुरयाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर को बय कर दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशि में से अवशेष रकम 9,41,950/– (नौ लाख इक्तालीस हजार नौ सौ पचास रुपये मात्र ) बजरिये चैक नम्बर 011407 दिनांकित 02.08.2006 का पंजाब नैशनल बैंक दयानन्द नगर गाजियाबाद के मुझ विक्रेता ने केता से प्राप्त कर ली है और कोई धनराशि बाकी नही रहती है ।

8. विक्रीत भूमि का कब्जा मौके पर केता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया जिसके केता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये है। उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि से सम्बन्ध सुखाधिकारों सहित जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालिकाना प्रयोग में लाये ।

रवि कुमार

कार्यालय उप कोषागार

[illegible]

स्टाम्प नं०.71 रू०.15 वर्ष

स्टाम्प नं०.68 में शामिल किया गया

उप. कोषाधिकारी

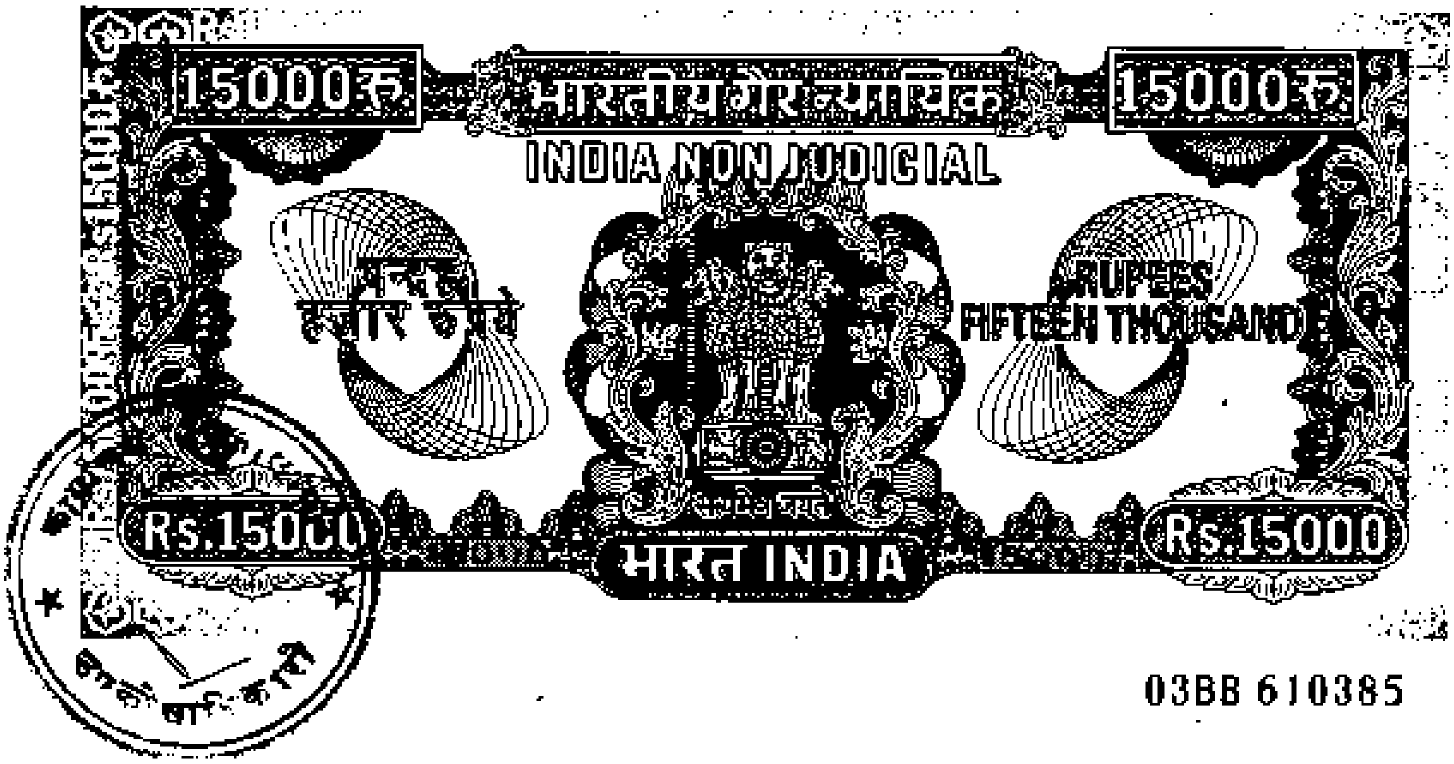


03BB 610385



9. विक्रेता, विक्रीत भूमि के बाबत समस्त कागजात में आवश्यक औपचारिकताए पूर्ण कराकर बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वह स्वयं दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते है, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नही होगा और न ही है । अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित, व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई सम्बन्ध बाकी नहीं रहा है और न कभी रहेगा ।

कार्यालय उप [illegible]गार
[illegible]

[illegible] 2005

स्टाम्प नं. [illegible] रु. [illegible] मूल्य
स्टाम्प नं. [illegible] में शामिल किया गया
उप. रोकड़िया

15000रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 610386

( 6 )

10 विकीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल / विकेता की और कोई भार निकला और निकला हुआ भार केता या स्थायनापन को अपने पास से अदा करना पडा अथवा उसका कोई अंश केता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगे तथा पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशि को मय हरजे खर्च प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसान की चल व अचल सम्पति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

11. यह कि फरीक अव्वल ने विक्रित भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेज (वसीयत, मूल पट्टा व न्यायालय के अपेक्षित आदेशों की प्रमाणित प्रति आदे) तथा प्रमाणित खसरा, खतौनी, जाति, प्रमाण पत्र, तथा बारह साला जो विक्रेता के पास उपलब्ध हैं, उन्हे क्रेता को सौंप देगा।

12. विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया हैं।

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

क्रमांक नं० 22 क्र० ...
स्टाम्प नं० 66 में शामिल किया गया
ह०. रोकड़िया

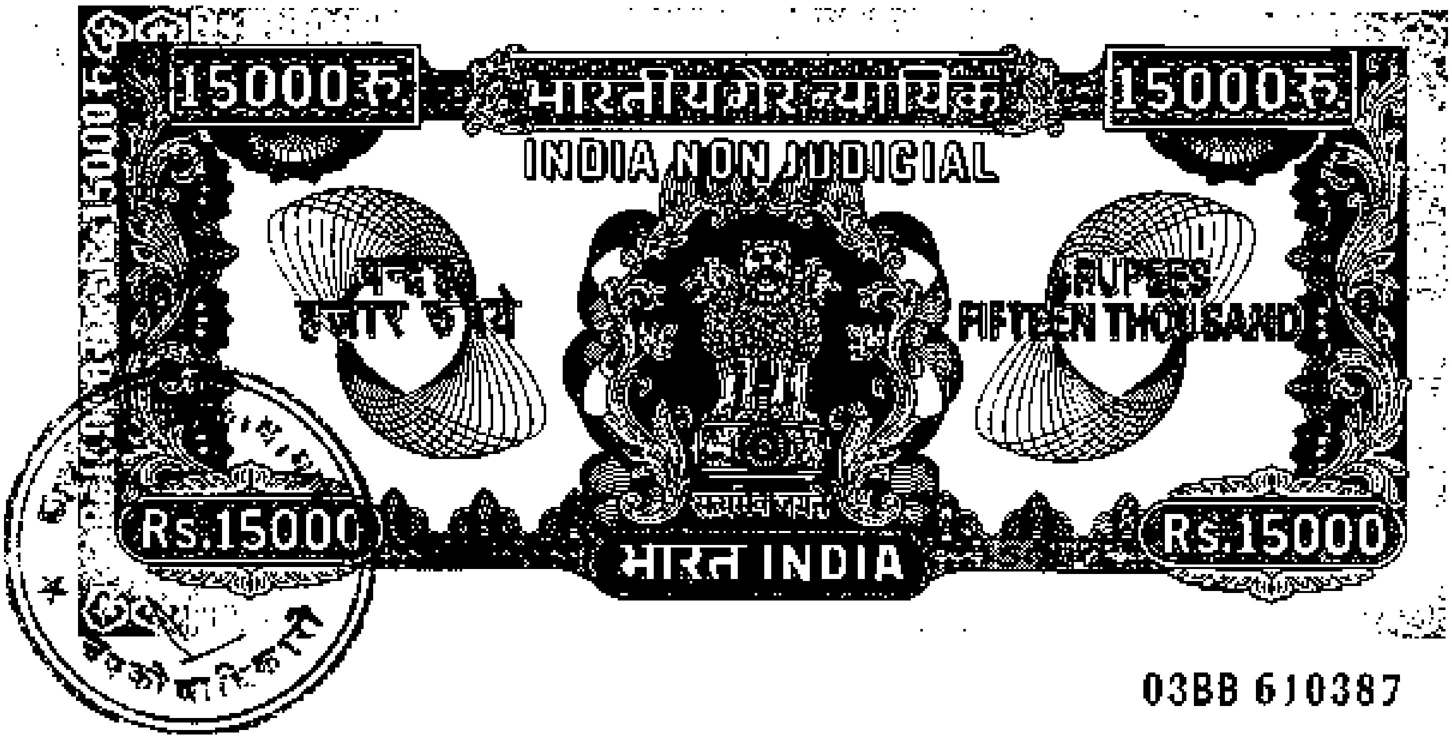


03BB 610387

(7)

13. अतः यह विक्रय मत्र खूब सोच समझकर, सुनकर पढकर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया हैं कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(हस्ताक्षर ... अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ता...)
फरीक दोयम (क्रेता)

गवाह नं0 1

श्री ______ पुत्र श्री ______
निवासी ग्राम ______ परगना ______
तहसील ______ दादरी
जिला ______ गौतमबुद्धनगर

गवाह नं0 2

श्री ______ पुत्र श्री ______
निवासीग्राम ______ परगना ______
तहसील ______ दादरी
जिला ______ गौतमबुद्धनगर

तहरीर दिनांक 2.08.2006 मसौदाकर्ता Tejendra Singh गाजियाबाद ।
Advocate
Ch. No-297, Civil Court
GHAZIABAD. (U.P.)

[illegible] आगार
[illegible]

स्टाम्प नं० 24 रु० 11396
स्टाम्प नं० 18 में शामिल किया गया
एस. रोहतगिया

आज दिनांक 2/8/06 को फोटोस्टेट
प्रति पुस्तक संख्या I जिल्द संख्या 172
के पृष्ठ 183 से 192 पर क्रमांक संख्या 4155
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक
बादरी

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक PNB

छपरौला

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के सम्बन्ध में ।

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता सं ...354..... खसरा नं० ...17.... रकबा 0.2530 स्थित ग्राम दुरियाई ......... परगना दादरी तहसील दादरी ... जिला गौतमबुद्ध नगर । मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि, मै० उप्पल चड्ढा हाई टेक डेवेल्पर्स प्रा० लि० को बेचना है । इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी० ) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं हैं ।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) प्रदान करने की कृपा करें ।

धन्यवाद

प्रार्थी

भटेरू s/o तेजा

निवासी दुरियाई जि० गौ० बु० नगर

106

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक U.P. Samuth Vikas bank LTD

DADRI

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) के सम्बन्ध में ।

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता सं 354 खसरा नं0 17 रकबा 0.2530 स्थित ग्राम दुरियाई परगना दादरी तहसील दादरी जिला गौतमबुद्ध। मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि, मै0 उप्पल चढ्ढा हाई टेक डेवेलपर्स प्रा0 लि0 को बेचना है । इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0 ) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं हैं ।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) प्रदान करने की कृपा करें ।

धन्यवाद

प्रार्थी

अटरू S/o तेजा

निवासी दुरियाई गौ० बु० नगर

उ० प्र० सह० ग्राम विकास बैंक लि० शाखा-दादरी, गौतम बुद्ध नगर

# उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 71020135087 ग्राम का नाम : दुरयाई परगना : दादरी तहसील : दादरी

जनपद : गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1411-1416 भाग : 1

| खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम | पिता / पति / संरक्षक का नाम | निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -----2----- | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 |
| श्रेणी : 2 | भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो। | | | | | | | | |
| 00354 | मटरू | तेजा | नि. ग्राम | पू1395फ | 17 | 0.2530 | | 1- उपजिलाधिकारी के आदेश दि017-3-97 के क्रम मे खातेदार को सं0 भू0 वाला भूमिधर घोषित किया जाता है ह0 आर0के0/लै0 6-8-04 | |
| | | | | कुल गाटे : 1 | | कुल क्षे. 0.2530 | 7.35 | | |

हस्ताक्षर

(राजेन्द्र सिंह)
रजि0का0 रजिस्ट्रार कानूनगो
दादरी, गौतम बुद्ध नगर



01/06/06

**प्रमाण पत्र संख्या**
**001710201150871592**

1925

# जाति प्रमाण पत्र

## (उ0प्र0 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि **श्री मटरू**
पुत्र **श्री तेजा** निवासी गांव/नगर **दुरयाई** तहसील **दादरी**
जिला **गौतमबुद्धनगर** उ0प्र0 राज्य की **जाटव**
जाति के व्यक्ति हैं। जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 ई0 जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ। संविधान (अनुसूचित जन–जाति उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री **मटरू** तथा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के गांव/नगर **दुरयाई** तहसील **दादरी** जिला **गौतमबुद्धनगर** में सामान्यतया रहता है।

यह प्रमाण–पत्र **राजस्व निरीक्षक, बिसरख** की तसदीक पर जारी किया गया है।

स्थान **दादरी**

दिनाँक **07-04-2006**

कार्यालय की मुहर सहित

तहसीलदार
दादरी

[illegible] ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर फसली साल 140- 1412 ... फ-

| मौजूदा बन्दोबस्त के खेत का नम्बर | रकबा | खतौनी खाते के वर्गीकरण (भाग 1) के अनुसार खातेदार का नाम | खतौनी के (भाग 2 के वर्गीकरण) के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई हो | सिंचाई का साधन | कृषि (फसलों वाली भूमि) का क्षेत्रफल | | | | | | | | | | | मिलान खसरे के स्तम्भों के अनुसार अकृषिक भूमि का ब्यौरा | | प्रत्येक खेत के पूरे खड़े हुये वृक्षों की संख्या और किस्म |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | खरीफ | | | रबी | | | जायद | | | | | | | |
| | | | | | फसल का नाम | सींचा हुआ | अन सींचा | फसल का नाम | सींचा हुआ | अन सींचा | फसल का नाम | सींचा हुआ | अन सींचा | सींचा हुआ | अन सींचा | भूमि की श्रेणी | क्षेत्रफल | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0-२५३ | ३५४ | परती | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

प्रति अभिलिपि उक्त से मिलान किया

Amit Kumar
6/4/06
अमित कुमार
(लेखपाल)
क्षेत्र- [illegible]
तहसील-दादरी

# उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 71020115087    ग्राम का नाम : दुरयाई    परगना : दादरी    तहसील : दादरी

जनपद : गौतमबुद्धनगर    फसली वर्ष : 1411-1416    भाग : 1

11/6/07

04/02

| खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम | पिता / पति / संरक्षक का नाम | निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संराश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 |
| श्रेणी : 2 | भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो। | | | | | | | | |
| 00354 | नटरू | तेजा | नि. ग्राम | पु1395क | 17 | 0.2530 | | ✓1. उपजिलाधिकारी के आदेश दि017-3-97 के क्रम से खातेदार को सं0 भू0 वाला भूमिधर घोषित किया जाता है। ह0 आर0के0/ले0 6-8-04 आदेशानुसार श्रीमान एस. न्यायिक मि.न.948/11-9-06 को आदेश हुआ कि खा.स. 354 के ख.न. 17/0.2530 है. से विक्रेता नटरू पुत्र तेजा नि.ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता रवि कुमार पुत्र तारा नि.ग्राम का नाम बतौर बैनामा दर्ज हो। ह.स.र.का. 28-5-2007 | |
| | | | | कुल गाटे : 1 | कुल क्षे : | 0.2530 | 7.35 | | |

Checked + ok (Illegible) 11.6.07

[signature] 11/6/07

हस्ताक्षर [signature]

08-06-07

पृष्ठ संख्या : 1 of 1